



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

V, 2023
04/10/2023

क्रमांक : जविप्रा / जोन-06 / उपा. / डी- 2912

दिनांक 30/9/23

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

विषय :- धारा 90ए के अन्तर्गत लोक सूचना का प्रकाशन करवाये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि धारा 90ए के अन्तर्गत संलग्न लोक सूचना का प्रकाशन करवाकर प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करवाने का श्रम करावे।

संलग्न : लोक सूचना विज्ञप्ति।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त जोन-06,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सर्किल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या...29/2...

दिनांक...30/9/23

लोक सूचना

अधोहस्ताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिये विक्रय पत्र/इकरारनामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण श्री गणपति व भैरव गू.नि.स.स की योजना गणेश नगर-6ए के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपका एवं आपके पश्चातवर्ती हस्तान्तरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तद्घीन बनाये गये नियमों के उपबंधों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः क्यों नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 संपठित धारा 90ए(5) एवं संपठित राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावसित कर राज्य सरकार के पक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम मय तहसील	हाल खसरा नम्बर	रकबा	स्वामित्व
नांगल जैसा बोहरा जयपुर	715	1.3152 हैक्ट	कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/24, काना पुत्र गोपी हि. 1/16 चौथी देवी पत्नी गोपाललाल हि. 1/36, नृसिंह पुत्र चौथू हि. 1/48 नाथूलाल सैनी पुत्र स्व. श्रीकृष्ण सैनी हि. 1/24, नारंगी देवी पुत्री गणेश हि. 1/24, प्रभू पुत्र महादेव हि. 1/12, बदरी पुत्र चौथू हि. 1/48, मंगल्या पुत्र चौथू हि. 1/48, मोहरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण सैनी हि. 1/36 रुडा पुत्र गणेश हि. 1/4, राजूदेवी पुत्री गणेश हि.1/24, रामचन्द्रसैनी पुत्र स्व. श्रीकृष्णसैनी हि. 1/24, लालचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/24, श्री नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायणसैनी हि. 1/36 सुखा पुत्र गोपी हि. 1/16, सुवा पुत्र चौथू हि. 1/48 सूस्या पुत्र मु. गोविन्दा हि. 1/8 जाति माली, सा.देह खातेदार
	718	0.8852 हैक्ट	
	719	0.3415 हैक्ट	
	731	0.3035 हैक्ट	
	713	1.6567 हैक्ट	कैलाशचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/9, छोटीदेवी पुत्री कल्याण हि. 1/225 चौथी देवी पत्नी गोपाललाल हि. 2/27, जयनारायण पुत्र सुवालाल हि. 1/35, नरसी पुत्र चौथूराम हि. 1/45, नाथूलाल सैनी पुत्र स्व. श्रीकृष्ण सैनी हि.1/9, नारंगीदेवी पुत्री गणेश हि. 1/18, बदरी पुत्र चौथूराम हि. 1/45, बदरी पत्नी स्व. सुवालाल हि. 1/135, बाबूलाल पुत्र प्रभू हि. 1/27, मंगला पुत्र चौथूराम हि. 1/45, मदन पुत्र प्रभू हि. 1/27, मीरादेवी पुत्री कल्याण हि. 1/225, मोहरीलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 2/27 राजूदेवी पुत्री गणेश हि. 1/18, राधेश्याम पुत्र प्रभू हि. 1/27, रामचन्द्रसैनी पुत्र स्व. श्रीकृष्ण सैनी हि. 1/9 रामनारायण पुत्र कल्याण हि. 1/225, लालचन्द पुत्र कल्याण हि. 1/225 लालचन्द पुत्र मूलचन्द हि. 1/9, श्रवण कुमार पुत्र कल्याण हि. 1/225, श्री नारायण पुत्र लक्ष्मीनारायण हि. 2/27, सोहनलाल पुत्र सुवालाल हि. 1/35 जाति माली सा.देह खातेदार
	714	0.4047 हैक्ट	

प्रशासन शहरी के संग अभियान के अन्तर्गत नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवेवि/अभियान/2021/म.म.ज्ञा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो मय साक्ष्य के विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस में कमरा न. 204, पार्किंग भवन, द्वितीय तल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय में उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावसित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक...30/9/23...को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त

जयपुर जयपुर, जयपुर।

जयपुर जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3122

दिनांक 3/10/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं,
जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. वर्ग	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती मालती देवी पत्नी श्री बाबू सिंह	श्री सुरेश कुमार शर्मा पुत्र श्री भूराराम शर्मा	2	83.33	मित्र गृ.नि. स.स.लि.	पंचवटी कॉलोनी बी-ब्लॉक	फ्री होल्ड	मूल दस्तावेज खो जाने के कारण।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावे। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-

3136

दिनांक:- 21/10/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 48 मीटर सैक्टर सड़क (अजमेर रोड से डिग्गी रोड को जाने वाली 200 फीट सैक्टर रोड से मुहाना मण्डी के गेट नम्बर-1 से निकलकर 200 फीट मुहाना मण्डी रोड को जोड़ती है) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जयपुर के ख.नं. 463 रकबा 0.0900 हैक्टेयर में से 620 व0मी0, ख.नं. 464 रकबा 0.6300 हैक्टेयर में से 870 व0मी0, ख.नं. 494 रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 1130 व0मी0 एवं ख.नं. 496 रकबा 0.6900 हैक्टेयर में से 1080 व0मी0 किता 04 कुल समर्पित रकबा 3700 व0मी0 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री लक्ष्मण, श्योकरण, श्योलाल, हरजी पुत्रान् श्री रामनाथ द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

साँचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त जोन-8
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।

क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी- 3136

दिनांक:- 3/10/23

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण की जोनल प्लान 10 की 48 मीटर सैक्टर सड़क (अजमेर रोड़ से डिग्गी रोड़ को जाने वाली 200 फीट सैक्टर रोड़ से मुहाना मण्डी के गेट नम्बर-1 से निकलकर 200 फीट मुहाना मण्डी रोड़ को जोड़ती है) में आ रही भूमि राजस्व ग्राम जैतपुरा उर्फ हाज्यावाला तहसील सांगानेर जयपुर के ख.नं. 463 रकबा 0.0900 हैक्टेयर में से 620 व0मी0, ख.नं. 464 रकबा 0.6300 हैक्टेयर में से 870 व0मी0, ख.नं. 494 रकबा 0.3300 हैक्टेयर में से 1130 व0मी0 एवं ख.नं. 496 रकबा 0.6900 हैक्टेयर में से 1080 व0मी0 किता 04 कुल समर्पित रकबा 3700 व0मी0 हैक्टेयर भूमि के खातेदार श्री लक्ष्मण, श्योकरण, श्योलाल, हरजी पुत्रान् श्री रामनाथ द्वारा जविप्रा अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-8 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ. नोट

विषय:— लोक सूचना का समाचार पत्र में प्रकाशन करवाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम मलवा, तहसील चाकसू के संलग्न खसरांनुसार विज्ञप्ति का प्रारूप तैयार कर राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित है।

संलग्न — 1

उपायुक्त -14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
जोन-14, जविप्रा, जयपुर

जन सम्पर्क अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

यू.ओ. नोट क्रमांक: एफ/ज.वि.प्रा./जोन-14/2023/डी-2465
दिनांक:— 03/10/2023

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102964

दिनांक: 03/10/2023

लोक सूचना

श्री **ASHOK JAIN** पुत्र श्री **SHRI PREM CHAND JAIN** जाति **JAIN** निवासी **45 KAILASHPURI TONK ROAD, JAIPUR**

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मलवा, चाकसू (जयपुर)	ASHOK JAIN S/O SHRI PREM CHAND JAIN	458	1800	0.18
2.	मलवा, चाकसू (जयपुर)	ASHOK JAIN S/O SHRI PREM CHAND JAIN	461	1900	0.19
3.	मलवा, चाकसू (जयपुर)	ASHOK JAIN S/O SHRI PREM CHAND JAIN	534/459	760	0.076
4.	मलवा, चाकसू (जयपुर)	ASHOK JAIN S/O SHRI PREM CHAND JAIN	536/460	555	0.0555
कुल					0.5015

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **03-10-2023** को जारी की गयी।

प्रामुख्य
प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-2770

दिनांक 03/10/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री नानगराम, रोडूराम, रामेश्वर, सूरजमल उर्फ सुजीलाल, नानूराम पुत्रान	श्री लक्ष्मीनारायण, करणा, गौपाल पुत्रान	774	240 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	नाम हस्तांतरण / लीजडीड	मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र व हकतयाग पत्र
2.	श्री लक्ष्मीनारायण हि. 1/3,	श्री कल्याण	959	54 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा		
3.	श्री देवीलाल पुत्र स्व. श्री रामकरण हि. 1/3 श्री हनुमान चौधरी पुत्र स्व. श्री गोपाल हि. 1/3		1515	13.50 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम दमरूखुर्द		

प्रतिलिपि:- जन-सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-203
31/01/23

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2023/डी-27575

दिनांक : 30/01/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती अनिता देवी पत्नी श्री राजेश कुमार अग्रवाल	श्री राजेश कुमार अग्रवाल पुत्र श्री भूरामल अग्रवाल	13	226.60	गृह निर्माण सहकारी समिति लि.	अशोक विहार ए से ई	फ्री होल्ड हेतु	प्रमाणित सदस्यता सूची में नाम भिन्न होने के कारण

उपायुक्त जयपुर

उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

उपायुक्त जोन-11,
ज.वि.जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय); फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 4578

दिनांक:- 3/10/23

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	90	271.00 व.ग.	इनकम टैक्स कॉलोनी-प्रथम (इनकम टैक्स कॉलोनी गृ.नि. स.स.)	श्रीमती. विमला मीना पत्नी श्री मीठा लाल मीना	श्रीमती नीता शर्मा पत्नी श्री बी.पी. शर्मा	अपंजीकृत ईकरारनामा से क्रय किया गया है।

उपायुक्त-जोन-9
जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त-जोन-9
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राजेन्द्र शर्मा पुत्र श्री जगदीश नारायण शर्मा	श्रीमती गीता देवी गंगवाल पत्नी श्री राधेश्याम गंगवाल	110	पथिक भवन गृ. नि.स.स.	13एफ शांति धाकड कॉलोनी	फिहोल्ड लीजडीड	अंजीकृत इकरारनरामा के आधार पर बेचान पर आवेदन
2.	श्री सीताराम मीणा पुत्र स्व. श्री लल्लूराम मीणा जरिये मु.आम श्री अरुण कुमार पुत्र श्री छोटे लाल शर्मा	श्री लल्लूराम मीणा पुत्र श्री चन्दाराम	154	जविप्रा	खूसर विस्तार	फिहोल्ड लीजडीड	मृत्यु उपरांत पंजीकृत हकत्याग पत्र पश्चात पंजीकृत मु.आम के आधार पर आवेदन

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

Seenu
उपायुक्त जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण
जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2023/ क्रमांक: /डी- 4077
दिनांक 31/10/23

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102969

दिनांक: 03/10/2023

लोक सूचना

श्री अश्वनी गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल जाति महाजन 13, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, नियर सिविल लाईन्स, जयपुर

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	हरबंशपुरा, सांगानेर (जयपुर)	श्री अश्वनी गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण अग्रवाल जाति महाजन 13, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, नियर सिविल लाईन्स, जयपुर	234 / 212	2084	0.2084
			236 / 231	1616	0.1616
				कुल	0.37

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **03-10-2023** को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102971

दिनांक: 03/10/2023

लोक सूचना

श्री विनायक एंटरप्राइजेज जरिये पार्टनर श्री महेन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री बद्री नारायण अग्रवाल कार्यालय पता बी-147, 10-बी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	हरबंशपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स श्री विनायक एंटरप्राइजेज कार्यालय पता बी-147, 10-बी, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।	65 / 163	1500	0.15
			197 / 65	2700	0.27
			200 / 63	1494	0.1494
			207 / 65	500	0.05
			210 / 65	1723	0.1723
			217 / 184	350	0.0350
			219 / 64	550	0.0550
			229 / 69	5650	0.5650
कुल					1.4467

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 03-10-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3066

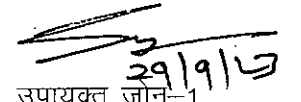
दिनांक:- 29/9/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती लक्ष्मी पत्नी श्री कालू	145	जविप्रा	झालाना फैज-II	पट्टा	अपजीकृत इकरारनामा


29/9/23

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी- 3071

दिनांक:- 30/9/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री बृजमोहन बैरवा	डी-99	जविप्रा	झालाना फैंज-II	पट्टा व नाम हस्तान्तरण	इकरारनामा हकत्याग पत्र


30/9/2023
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-3274

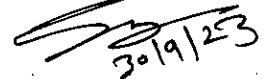
दिनांक:-30/9/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शंकर लाल बुनकर	ई-134	जविप्रा	झालाना फैंज-III	लीज होल्ड से फ्री-होल्ड पट्टा	अपजिकृत इकरारनामा विक्रय पत्र


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा-3/लालकोठी/डी-

479

दिनांक 03/10/23

विज्ञप्ति/सूचना

निम्नांकित आवेदक द्वारा दस्तावेजात प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	दुकान/भूखण्ड सं. व क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खोदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री चन्द्रप्रकाश कुमावत पुत्र स्व. श्री कन्हैया लाल कुमावत	श्रीमती धापू देवी पत्नी कन्हैया लाल	ई-540	जविप्रा	लालकोठी योजना	लीजडीड हेतु	स्वघोषणा पत्र, रजिस्टर्ड इकरारनामा बाबत हकत्याग, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण पत्र, सजरा प्रमाण पत्र की प्रति

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-3
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 4646

दिनांक:- 28/9/23

सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	62	244.44 व.ग.	स्कीम नम्बर 16 शिव सहाय कॉलोनी (सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स.)	श्री रामअवतार ताम्बी पुत्र श्री रामगोपाल ताम्बी	श्रीमती भंवरी सोलंकी पत्नी श्रीम दन लाल सोलंकी	सदस्यता सूची मे नाम अंकित नहीं है एवं अपंजीकृत ईकरारनामा से बेचान।
	63	166.66 व.ग.				


उपायुक्त, जोन-9,
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।


उपायुक्त, जोन-9,
जविप्रा, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-2106

दिनांक 29/9/2023

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भू.सं.	भू.क्ष. वर्ग0	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती नीति जैन पत्नी श्री प्रिन्स कुमार जैन	श्रीमती कन्चन देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश चौधरी	4ए	135 वर्ग गज में से 58 वर्ग	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता सूची में किसी भी व्यक्ति का नाम अंकित नहीं एवं अपंजीकृत मु.आम होने से।
2	श्री साहब सिंह पुत्र श्री टुण्डा सिंह जाट	स्वयं	52	251	लूनियावास गृ.नि.स.स.लि.	श्याम विहार	फ्री होल्ड	सदस्य सूची में आवेदक के पिता के नाम में भिन्नता होने से।
3	श्रीमती विमला शर्मा पत्नी श्री गंगा शरण शर्मा	श्री गंगा शरण शर्मा पुत्र श्री गोविन्द नारायण शर्मा	03	191.67	शंकर भवन गृ.नि.स.स.लि.	प्रिन्टर्स कॉलोनी	फ्री होल्ड	प्रकरण में हकत्याग व सजरा प्रमाण पत्र होने से।
4	श्रीमती काली देवी पत्नी श्री लालचन्द	श्री सूरज नाराणिया पुत्र श्री बाबूलाल नाराणिया	27	150 में से 75	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	भौमिया कॉलोनी	फ्री होल्ड	काट-छाट होने व सदस्यता सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।
5	श्री कैलाश चौधरी पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण चौधरी	श्रीमती कन्चन देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश चौधरी	4	135 में से 75	हसनपुरा-ए गृ.नि.स.स.लि.	बालाजी नगर बी	फ्री होल्ड	सदस्यता, सूची में किसी अन्य व्यक्ति का नाम अंकित होने से।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें। कृपया प्रकाशन से पूर्व PROOF की जांच कर लें।

उपायुक्त जोन-8
जविप्रा, जयपुर।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102970

दिनांक: 03/10/2023

लोक सूचना

मैसर्स बृजधाम बिल्ड एस्टेट्स प्रा.लि. जरिये पार्टनर श्री अश्वनी गुप्ता पुत्र श्री हरिनारायण गुप्ता कार्या. पता 101, 690, पानो का दरीबा, जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	हरबंशपुरा, सांगानेर (जयपुर)	मैसर्स बृजधाम बिल्ड एस्टेट्स प्रा.लि. कार्या. पता 101, 690, पानो का दरीबा, जयपुर।	71	900	0.09
			181 / 60	300	0.03
			183 / 70	700	0.07
			216 / 184	2150	0.2150
			218 / 64	550	0.0550
			233 / 212	14066.	1.4066
			235 / 231	1234	0.1234
				कुल	1.99

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 03-10-2023 को जारी की गयी।


प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-2767

दिनांक:-29/9/23

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1	6	250.00 वर्गगज	कविता यादव पत्नी श्री योगेश यादव	पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	गणेश विहार-प्रथम	अपंजीकृत इकरारनामा, गुमशुदगी की रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
2	14	277.77 वर्गगज	श्री योगेश यादव पुत्र श्री बन्नालाल यादव	पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	गणेश विहार-प्रथम	अपंजीकृत इकरारनामा, गुमशुदगी की रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।
3	7	250.00 वर्गगज	श्री योगेश यादव पुत्र श्री बन्नालाल यादव	पथिक भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	गणेश विहार-प्रथम	अपंजीकृत इकरारनामा, गुमशुदगी की रिपोर्ट, शपथ पत्र के आधार पर नामहस्तांतरण/लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

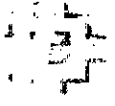
- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जोन-13
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302 004

दूरभाष91-141-2569795 : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटे.: 8340 : फैक्स-+91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-3278

दिनांक: 3/10/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्रीमती प्रेमलता यादव	सी-233	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	अपजिकृत इकरारनामा विक्रय पत्र अपजिकृत वसीयतनामा


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-3277

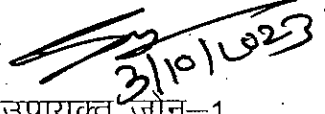
दिनांक:- 3/10/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री कपूरचन्द जैन	सी-215	जविप्रा	मालवीय नगर	नाम हस्तान्तरण	हकत्याग पत्र के कारण


उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : जविप्रा/जोन-12/2023/डी-4060

दिनांक : 3.8.23

उपायुक्त निदेशक (जनसम्पर्क)

जयपुर, जयपुर।

विषय :- 90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना संलग्न प्रारूप अनुसार 8 फोन्ट साईट में राजस्व स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।

(6)

उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

LU2012/JDA/2022-23/102321

दिनांक: 03/10/2023

लोक सूचना

HIND TERMINALS PRIVATE LTD. THROUGH AUTHORISED SIGNATORY SHASHI SHANKAR PRASAD GUPTA पुत्र श्री LATE RAMCHANDRA PRASAD जाति VAISHYA निवासी 103-107 SALCON AURUM BUILDING JASOLA DISTRICT CENTRE JASOLA NEW DELHI 110025

कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का इन्फ्रास्ट्रक्चर व वेग्वे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स प्रयोजन के उपयोग हेतु भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
	नन्दगांव, जयपुर (जयपुर)	HIND TERMINALS PVT LTD	66	15179	1.5179
कुल					1.5179

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 62 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के अभाव पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 03-10-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2023/डी-3225

दिनांक:- 3/10/2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी/ जविप्रा की योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री अनुपम अग्रवाल	ए-184	जविप्रा	मालवीय नगर	पट्टा	हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र के कारण
2.	श्रीमती पृथ्वानी	भूखण्ड/ शॉप-3	जविप्रा	बजाज नगर एन्कलेव	पट्टा	एक से अधिक विक्रय पत्र


3/10/2023
उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-११३१

दिनांक 30-9-23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती पुजा पत्नी श्री विजय	कु. आशा केसवानी पुत्री श्री लक्ष्मणदास केसवानी	4/13 ई.डब्ल्यू एस	—	जविप्रा	विधाधर नगर	नाम हस्तान्तरण / फ्री होल्ड पट्टा	अपंजीकृत इकरारनामा इत्यादि
2	श्री आशीष कुमार छीपा पुत्र श्री जगदीश नारायण छीपा	श्रीमती चन्द्र कुमारी पुत्री श्री जैम्स एस राम	3/सी-1 (निजी खातेदारी भूखण्ड)	158.66 व. ग.	दी शिवा गृ.नि.स. स.	जैम्स बगीची	फ्री होल्ड	अपंजीकृत मु.आम, रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि
3	श्री आशीष कुमार छीपा पुत्र श्री जगदीश नारायण छीपा	श्री संजीव पुनिया पुत्र श्री जय पाल	सी-4 (निजी खातेदारी भूखण्ड)	278.66 व. ग.	दी शिवा गृ.नि.स. स.	जैम्स बगीची	फ्री होल्ड	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र इत्यादि

उपायुक्त/जोन-2/30/9/23

प्रतिलिपि : जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004
दूरभाष-{0141-2574768} (O) ईपीबीएक्स-0141-2569696 Ext. 8820 : फैक्स +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय—आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मुन्ना उर्फ मोहन लाल मीणा पुत्र श्री नाथू मीणा	श्री मुन्ना पुत्र श्री नाथूलाल	20	हथरोई गढ़ी गृ. नि.स.स.	अशोक वाटिका	फ्रीहोल्ड लीजडीड	आवंटन पत्र नष्ट हो जाने एवं सदस्यता सूची में नाम श्री मुन्ना पुत्र श्री नाथूलाल होने के कारण।

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा/जोन-9/2022/ क्रमांक:/डी- 4068
दिनांक 30/9/22


जयपुर विकास प्राधिकरण-99
जयपुर, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

विषय-आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	वैजयन्ती सैनी पत्नी स्व. ओमप्रकाश सैनी, जया सैनी, जया सैनी, हर्ष सैनी, बबलू सैनी, चंचल सैनी पुत्रांन स्व. ओमप्रकाश सैनी संरक्षिता माता वैजयन्ती सैनी	श्री घासीलाल माली पुत्र श्री गोपाल माली	B/126	जविप्रा	जे.डि.ये कर्मचारी कॉलोनी (खूसर)-2	नामहस्तांतरण	मूल आवंटी की मृत्यु उपरांत वारिसों के पक्ष में नामहस्तांतरण बाबत
2	श्री कीर्ति कपूर पुत्र स्व. राजकुमार कपूर	श्रीमती सविता कपूर एवं श्री कीर्ति कपूर	497	जविप्रा	निलय कुंज	नामहस्तांतरण एवं लीजहोल्ड से फिहोल्ड	मृत्यु उपरांत पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर

जन सम्पर्क अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जविप्रा / जोन-9 / 2023 / क्रमांक: / डी- 4064
दिनांक 30/11/23

Seena
/ उपस्थित जोन-9
जविप्रा, जयपुर
उपस्थित जोन-9
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष- {+91-141-सम्बंधित कार्यालय} : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: {सम्बंधित कार्यालय}: फैक्स- +91-141-2574555



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1863

दिनांक 30/4/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री मनमोहन गौड़ पुत्र श्री जे.पी. गौड़	श्री मनमोहन गौड़ पुत्र श्री जगदीश प्रसाद गौड़	38	150.00 व.ग.	सूरजपोल गेट	रतन नगर	फ्री होल्ड पट्टा	समिति द्वारा जारी आवंटन के आधार पर

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त, जोन- 7
जविप्रा, जयपुर।